न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाब<u>डा,</u> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)

<u>आप. प्रक. क.—526 / 2017</u> <u>संस्थित दिनांक 06.11.2017</u> <u>फाईलिंग नंबर 16882017</u>

// विरुद्ध //

सुनील पिता शिवशंकर ग्वाले, उम्म—23 वर्ष, निवासी ग्राम चंदना थाना परसवाड़ा जिलाबालाघाट(म.प्र.)

___ _ _ <u>आरोपी</u>

/ <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक 18/12/2017 को घोषित)

- 01— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 23.10.2017 को समय 11:30 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत पुराना अस्पताल बाजार चौक चंदना में फरियादी झाडूलाल हिरवाने को स्टील के कड़े से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित किया।
- 02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी झाडूलाल ने दिनांक 23.10.2017 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि सुनील ग्वाले द्वारा उसे गंदी—गंदी गालियाँ देकर स्टील के कड़े से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका—नक्शा, जप्ती, गिरफ्तारी, प्रार्थी एवं गवाहों के कथन की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।
- 03- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अंतर्गत आरोप

पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

01.क्या आरोपी सुनील ग्वाले ने दिनांक 23.10.2017 को समय 11:30 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत पुराना अस्पताल बाजार चौक चंदना में फरियादी झाडूलाल हिरवाने को स्टील के कड़े से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

<u>सकारण निष्कर्ष</u> :--

- 05— फरियादी साक्षी झाडूलाल अ.सा.01 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना इसी वर्ष 23 अक्टूबर की ग्राम चंदना के बाजार की है। घटना के समय दुकान लगाने की बात को लेकर उसका आरोपी के साथ विवाद हुआ था। लोगों की समझाईश के बाद उनका झगड़ा शांत हो गया था, परंतु बाद में उन दोनों ने एक—दूसरे के विरुद्ध थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने घटनास्थल बाजार बताया था और पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 06— फरियादी साक्षी झाडूलाल अ.सा.01 से न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी ने उसे मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ देकर मुक्के तथा झापड़ से मारपीट की थी, जिससे उसे बांये माथे के पास चोट लगी थी, आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दुकान लगाने की बात को लेकर मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी ने उसे कोई गाली—गलीच एवं मारपीट नहीं की थी, उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई

कार्यवाही नहीं चाहता है।

07— फरियादी झाडूलाल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी ने उसे कोई गाली—गलौच एवं और मारपीट नहीं की थी, उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके बिरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। फरियादी झाडूलाल अ.सा.01 घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी झाडूलाल हिरवाने को स्टील के कड़े से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित किया। अतः अभियुक्त सुनील ग्वाले को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

08- आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

09— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

10- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पेश नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट सही / — (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट